

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प.4(ई)(वी) अलेसे-III / मेरिट नंबर-2422 / 2013 / 3712

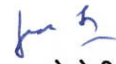
दिनांक :- 12.07.2019

कार्यालय आदेश

श्री उमेश पहाडिया कनि० लेखाकार मेरिट नंबर-2422 (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय स्थानीय निधि अकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय-उदयपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक -25.09.2018, 27.09.2018 एवं 28.09.2018 (कुल 03 दिवस)

उक्त कुल 03 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री उमेश पहाडिया की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई)(वी) अलेसे-III / मेरिट नंबर-2422 / 2013 / 3712

दिनांक :- 12.07.2019

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय-उदयपुर-313001
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री उमेश पहाडिया कनि० लेखाकार मेरिट नंबर-2422 (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय स्थानीय निधि अकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय-उदयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)